न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रार्थना पत्र सं. 38/21
पवन कुमार बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
4/10/21	वकील प्रार्थी उप०। APP उप०। श्रीमान ADJ साहब डीडवाना से मूल पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है, पुनः लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 11.10.21 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
11.10.21	वकील प्रार्थी उप०। APP उप०। श्रीमान ADJ साहब डीडवाना से मूल पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है, पुनः लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 18.10.21 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
18.10.21	वकील प्रार्थी उप०। APP उप०। श्रीमान ADJ साहब डीडवाना से मूल पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है, पुनः पत्र लिखा जाकर तहरीर वकील प्रार्थी को दस्ती दी जावे। पत्रावली दिनांक 25.10.21 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
25-10-21	प्रार्थी की ओर से वकील सतपाल सिंवर उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार रोयल उपस्थित। प्रकरण में श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय डीडवाना द्वारा अपने पत्रांक–1998 दिनांक 23.10.2021 से हस्तगत प्रकरण से संबंधित सेशन प्रकरण संख्या 21/2021 राज्य बनाम पवन कुमार एफ.आई.आर. नं. 132/21 पुलिस थाना डीडवाना की मूल पत्रावली भिजवाई है। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 451 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी वाहन ट्रक पंजीयन संख्या एचआर–62 ए–6297 का पंजीबद्ध मालिक है तथा उक्त वाहन मय मूय कागजात वर्तमान में प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर–132/2021 में पुलिस थाना डीडवाना द्वारा जब्त किया हुआ है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है। उक्त वाहन मय मूल कागजात का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है प्रार्थी ही इस वाहन मय मूल कागजात का स्वामी [illegible] वाहन मय मूल कागजात पुलिस थाना डीडवाना में देखरेख के अभाव में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। पुलिस थाना डीडवाना को उक्त [illegible] मय मूल कागजात की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं [illegible] प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त वाहन ही है जिसके अभाव में प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी न्याया[illegible] हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने को तत्पर है, का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का उक्त वाहन ट्रक पंजीयन संख्या एचआर–62 ए–6297 मय मूल कागजात को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ. प्रार्थना पत्र सं. 38/2021
पवन कुमार vs सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25-10-21 (लगातार)	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय में चालान किया जा चुका है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी पवन कुमार पुत्र श्री तिलकराज जाति ब्राहमण आयु 42 वर्ष निवासी जान्दली कंला पुलिस थाना भुना जिला पतेहाबाद हरियाणा को उक्त वाहन मय असल कागजात सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 13,00,000/—रूपये(अक्षरे रूपये तेरह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय डीडवाना को पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 132/2021 में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर एचआर—62 ए—6297 मय मूल दस्तावेज को प्रार्थी को नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।— 1. कि प्रार्थी उक्त वाहन का वर्तमान अवधि का वैध बीमा प्रपत्र प्रस्तुत करेगा। 2. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग—रोगन व ढाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। 3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा। 4. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद की प्रति प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रमाणित श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय डीडवाना को सूचनार्थ एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:29 IST
Reason: SelfAttested